भारतीय तटरक्षक
भर्ती निदेशालय
सी-1, फेज-2, औद्योगिक क्षेत्र
सैक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201309

समूह 'ग' असैन्य कार्मिकों की भर्ती-2025

आवेदन प्रारंभ की तिथि	06 दिसंबर 25
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	**20 जनवरी 26**

1. भारतीय तटरक्षक निम्नलिखित रिक्तियों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने हेतु पात्र भारतीय नागरिकों (पुरूष एवं महिला दोनों) से आवेदन आमंत्रित करता है :-

क्र.	**पद का नाम एवं वर्गीकरण** क.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर** ख.	**पदों की संख्या/ श्रेणी** ग.	**आवश्यक योग्यता** घ.	**आयु सीमा** ङ.	**रिक्ति का स्थान** च.
1.	**मैकेनिकल फिटर (स्किल्ड ट्रेडसमैन)** सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	लेवल -02	**01** (अना)	1.1 शिक्षु अधिनियम (एप्रेंटिस एक्ट) 1961 के तहत या मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षुता योजना के तहत संबंधित ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त/प्रतिष्ठित कार्यशाला से प्रशिक्षुता (एप्रेंटिसशिप) सफलतापूर्वक पूर्ण की जानी चाहिए। **या** इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किया होना चाहिए तथा ट्रेड में 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **या** जिस ट्रेड के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या अन्य	18 से 25 वर्ष की आयु के मध्य	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

				मान्यता प्राप्त संस्थान में कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है उस ट्रेड में 04 वर्ष का अनुभव । 1.2 ट्रेड प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी। **आवश्यक:** कक्षा 10वीं या समकक्ष		
2.	**एम टी एस (चपरासी)** सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	लेवल-01	**01** (अना)	2.1 मैट्रिक (दसवीं) या समकक्ष उत्तीर्ण। 2.2 कार्यालय परिचालक (ऑफिस अटेंडेंट) के रूप में दो वर्षों का अनुभव।	18 से 27 वर्ष की आयु के मध्य	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
3.	**एम टी एस (सफाईवाला)** सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	लेवल-01	**01** (ईडब्ल्यूएस)	3.1 मैट्रिक (दसवीं) या समकक्ष उत्तीर्ण। 3.2 किसी मान्यता प्राप्त फर्म में सफाई का 02 वर्ष का अनुभव	18 से 27 वर्ष की आयु के मध्य	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

नोट:-

1. उपर्युक्त दर्शायी गई रिक्तियां एवं उनके स्थान स्थायी हैं एवं सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं।
2. सेवा की आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति का स्थान परिवर्तित हो सकता है।

2. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित नहीं है, तब भी ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि वे आयु सीमा एवं न्यूनतम उत्तीर्णांक में रियायत/छूट आदि के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. **अभ्यर्थी, यदि चयनित होते हैं, तो भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।**

4. केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक तीन वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके हैं, को आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी।

5. आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात **20 जनवरी 26** होगी।

संक्षिप्तरुप:- **एम टी एस (चपरासी/सफाईवाला)** – मल्टी टास्किंग स्टाफ (चपरासी/सफाईवाला), **अना**- अनारक्षित, **अजा** – अनुसूचित जाति, **अजजा** – अनुसूचित जनजाति, **अपिव** – अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) , **ईडब्ल्यूएस** – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

2. **कार्यों की प्रकृति / जॉब प्रोफ़ाइल** :- प्रत्येक पद से संबंधित सांकेतिक कार्य इस प्रकार है ।

क्र.	**पद का नाम** क.	**कार्य** ख.
1.	मैकेनिकल फिटर (स्किल्ड ट्रेडसमैन)	एम टी वाहनों की मरम्मत, रख –रखाव तथा निरीक्षण करने हेतु ट्रेडसमैन के मुख्य दल का गठन करेंगे।
2.	एम टी एस (चपरासी)	अनुभाग के अभिलेखों का भौतिक रखरखाव अनुभाग/यूनिट की सामान्य सफाई एवं रखरखाव, कार्यालय भवन के भीतर फाइल तथा अन्य कागजात लाना ले जाना, फोटोकॉपी करना, फ़ैक्स आदि भेजना,अनुभाग/यूनिट में अन्य गैर लिपिकीय कार्य, कंप्यूटर पर कार्य करने सहित कार्यालय के नियमित कार्यों जैसे कि डायरी प्रेषण में सहायता करना, डाक सुपुदर्गी (कार्यालय/भवन के बाहर),वॉच एंड वॉर्ड ड्यूटी, कमरे खोलना एवं बंद करना।
3.	एम टी एस (सफाईवाला)	कमरों की साफ सफाई, फर्नीचर से धूल हटाना, भवन के फिक्सचर (जोड़े गए उपकरणों) की सफाई तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

नोट :- उपर्युक्त कार्य केवल निदर्शी है संपूर्ण नहीं है। सामान्यत: इस स्तर के कार्मिकों द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के अन्य कार्य अनुभाग/भारतीय तटरक्षक के विभाग द्वारा इस सूची में जोड़े जा सकते हैं।

3. **आवेदन कैसे करें :-** आवेदन पत्र **अनुलग्रक-I** में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार अंग्रेजी अथवा हिंदी में भरा जाना चाहिए। विधिवत स्व सत्यापित 03 रंगीन फोटोग्राफ चिपकाये हुए आवेदन पत्र के साथ नीचे सूचीबद्ध दस्तावेज़ों की फोटो प्रतियां नाम एवं तारीख के साथ विधिवत स्व सत्यापित होनी चाहिए।

3.1 आधार कार्ड

3.2 मैट्रिक (दसवीं) या समकक्ष की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र साथ ही प्रतिशत के साथ सीजीपीए/ग्रेड के रूपांतरण का फॉर्मूला।

3.3 उपर्युक्त पैरा 01 में उल्लिखित आवश्यक योग्यता के अनुसार डिप्लोमा/औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र साथ ही प्रतिशत के साथ सीजीपीए/ग्रेड के रूपांतरण का फॉर्मूला।

3.4 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नवीनतम श्रेणी प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्लूएस)।

3.5 उपर्युक्त पैरा 01 में उल्लिखित अनुभव प्रमाण पत्र।

3.6 वर्तमान में किसी सरकारी संगठन में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

3.7 पासपोर्ट आकार की 02 नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं) हैडगीयर के बिना (सिखों के अलावा) हल्के बैक ग्राउंड में सामने का चित्र।

3.8 आवेदकों को एक अलग स्व-पता लिखे रिक्त लिफाफे पर रु 50/- के पोस्टल स्टैंप चिपकाकर आवेदन पत्र के साथ भेजना है।

नोट :

1. उपर्युक्त सभी दस्तावेज़ आवेदन करने की अंतिम तिथि अर्थात **20 जनवरी 26** या उससे पूर्व जारी होने चाहिए।

2. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अधीन पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप **अनुलग्नक – II एवं III** पर दिये गए हैं।

3. ईडब्लूएस/अपिव (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वैध होना चाहिए।

4. यदि सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय अवधि में नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो उसे केवल प्रवेश पत्र जारी करने की पात्रता पर विचार करने के लिए आयु में छूट के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रमाण या अंडरटेकिंग आवेदन पत्र के साथ अग्रेषित करना होगा। हालाँकि लिखित परीक्षा से पूर्व दस्तावेज सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. विधिवत भरा गया आवेदन पत्र उपर्युक्त पैरा 03 के अनुसार सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ **20 जनवरी 26** तक साधारण/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर भेजा जाना चाहिए। कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

भर्ती निदेशालय
तटरक्षक मुख्यालय
तटरक्षक प्रशासनिक परिसर
सी-1, फेज-II, औद्योगिक क्षेत्र
सैक्टर – 62 , नोएडा
उत्तर प्रदेश – 201309

5. **चयन का तरीका**

5.1 **आवेदनों की जाँच**. अभ्यर्थियों से प्राप्त सभी आवेदनों में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज़ों एवं पात्रता मानदंडों की जाँच की जाएगी एवं केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे जिनके

आवेदन शॉर्टलिस्ट किए गए है। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आवेदन के साथ संलग्न लिफाफे में डाक द्वारा भेजे जाएंगे।

5.2 सभी शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी जिनको प्रवेश पत्र जारी किया गया है दस्तावेज़ सत्यापन एवं लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाएंगे।

5.3 **परीक्षा की तिथि**. शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को जारी किए प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सही तिथि, समय एवं स्थान सूचित किया जाएगा।

5.4 **बायोमेट्रिक केप्चर एवं दस्तावेज सत्यापन**: शॉर्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थी जिनको प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा को बायोमेट्रिक केप्चर (फोटो एवं अंगूठे की छाप) से गुजरना होगा तत्पश्चात दस्तावेज़ सत्यापन होगा। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र में दिये गए निदेश/निर्देशों के अनुसार अपने मूल दस्तावेज़ एवं इन दस्तावेज़ों की स्वसत्यापित फोटो प्रतियाँ (02 सेट) आवश्यक रूप से लाना चाहिए।

5.5 **लिखित परीक्षा** : सभी शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों जिनका बायोमैट्रिक कैप्चर एवं दस्तावेज़ सत्यापन पूर्ण हो चुका है, को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। लिखित परीक्षा ऑप्टिकल मार्क रिकग्नीशन (ओएमआर) आधारित होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र (द्विभाषी) में 80 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा का पैटर्न एवं प्रश्न पत्र के लिए अंक योजना आगे के पैराग्राफों में दी गई है।

5.6 लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार मेरिट पोजीशन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा आवश्यक निर्देशों के साथ भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यदि लिखित परीक्षा में दो अभ्यर्थियों को समान अंक मिलते हैं तो, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा।

6. प्रत्येक पद के लिए लिखित परीक्षा का पैटर्न निम्नवत है :-

पद का नाम क.	**विषय** ख.	**प्रश्नों की संख्या** ग.	**कुल अंक** घ.	**अवधि** ङ.	**उत्तीर्ण अंक** च.
मैकेनिकल फिटर (स्किल्ड ट्रेडसमैन)/ एम टी एस (चपरासी)/ एम टी एस (सफाईवाला)	गणित	20	20	01 घंटा	अना/ईडब्लूएस-40
	अँग्रेजी	20	20		
	सामान्य जागरूकता	20	20		
	मानसिक योग्यता/ तर्क शक्ति	20	20		
	कुल	**80**	**80**		

7. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

7.1 **गणित :-** इसमें पूर्णांक एवं पूर्ण संख्या, लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक, दशमलव तथा भिन्न, संख्याओं के मध्य संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएँ तथा बोड़मास,

प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, कार्य तथा समय, प्रत्यक्ष तथा व्युत्क्रमानुपात, औसत, साधारण ब्याज, लाभ तथा हानि, छूट, क्षेत्रफल, दूरी तथा समय, रेखाएँ तथा कोण, वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित समस्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे।

7.2 **English**:- Candidates' understanding of the basics of English language, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and its correct usage etc and to test comprehension, a simple paragraph may be given and question based on the paragraph to be asked.

7.3 **सामान्य जागरूकता**:- यह व्यापक रूप से कक्षा 10 वीं के स्तर के सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र) सामान्य विज्ञान तथा पर्यावरण अध्ययन पर आधारित है।

7.4 **तर्कशक्ति** :- इस भाग के प्रश्न अभ्यर्थियों की सामान्य अधिगम क्षमता का आकलन करने के लिए होंगे। प्रश्न मुख्यत: अल्फा-न्यूमेरिक श्रृंखला, कोडिंग तथा डिकोडिंग, सादृश्यता, निर्देशों का पालन, समानताएँ तथा अंतर, जंबलिंग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण, आरेखों पर आधारित अशाब्दिक तर्कशक्ति, आयु गणना, कैलेंडर तथा घड़ी आदि पर आधारित होंगे।

8. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:-**

8.1 पद के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता एवं अन्य मानदंडों को पूर्ण करते हैं। गलत/असत्य सूचना प्रस्तुत करने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा और ऐसी गलत/असत्य जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी किसी भी परिणाम के लिए भारतीय तटरक्षक उत्तरदायी नहीं होगा।

8.2 यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई जानकारी असत्य पायी जाती है या विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या भर्ती के बाद या भारतीय तटरक्षक में शामिल होने के बाद भी ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

8.3 यह अनिवार्य है कि आवेदन भेजे जाने वाले लिफाफे पर ऊपर की ओर पद का नाम स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में **"मैकेनिकल फिटर (स्किल्ड ट्रेडसमैन/एम टी एस (चपरासी)/ एम टी एस (सफ़ाईवाला) के पद के लिए आवेदन"** लिखा जाए। इस प्रकार से नहीं लिखे गए लिफाफे वाले आवेदन सरसरी तौर पर रद्द कर दिए जाएंगे।

8.4 अभ्यर्थियों को केवल एक पद के लिए आवेदन करना चाहिए तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनुमत है। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय उचित सावधानी बरतें। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तथा परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और भारतीय तटरक्षक द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।

8.5 अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्मतिथि, एवं पिता का नाम ठीक उसी प्रकार से लिखना चाहिए जिस प्रकार उनके मैट्रिक (दसवीं) के प्रमाण पत्र में दिया गया है अन्यथा जब भी यह भारतीय तटरक्षक की जानकारी में आएगा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

8.6 सरकारी विभागों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र आवेदन प्राप्त होने की नियत तिथि से पहले उचित माध्यम से अग्रेषित करना चाहिए। विभागीय अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करवाने हेतु आयु में छूट के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या अंडरटेकिंग आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

8.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी सरकारी नियमों के अनुसार सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय श्रेणी के रेल/बस किराए के हकदार है तथा टिकट जमा करने पर इसकी प्रतिपूर्ती की जाएगी। अभ्यर्थियों को मूल श्रेणी प्रमाण पत्र तथा इसकी 02 फोटो प्रतियाँ, मूल रेल/बस टिकट, नेफ्ट भुगतान के लिए रद्द चैक पत्र तथा यात्रा भत्ता दावा करने के लिए भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया यात्रा फॉर्म लाना होगा। उपर्युक्त रियायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं हैं जो पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार की सेवा में हैं या जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र निवास स्थान से 30 किमी से कम की दूरी पर स्थित है।

8.8 केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित होने/अहर्ता प्राप्त करने से अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है, जब तक कि वह पात्रता मानदंड को पूर्ण नहीं करता/करती, नियुक्ति मेरिट लिस्ट में उसके स्थान तथा रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

8.9 **निम्नलिखित कमियों वाले आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे: -**

8.9.1 अपूर्ण आवेदन।

8.9.2 आवेदक, आवेदन प्राप्त होने के अंतिम दिन विज्ञापन में उल्लिखित आयु सीमा से अधिक का पाया गया है।

8.9.3 ओवरराइटिंग/काँट-छाँट/सुधार/संलग्नकों के अनुसार गलत जानकारी।

8.9.4 उपर्युक्त पैरा 03 में सूचीबद्ध दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटो प्रतियाँ संलग्न नहीं पाई गई।

8.9.5 **एक अलग स्व-पता लिखा रिक्त लिफाफा जिस पर 50 रुपए के पोस्टल स्टैंप चिपके हों, आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं होने पर।**

8.10 भर्ती प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बिना किसी सूचना/कोई कारण बतायें रद्द/स्थगित/निलंबित/समाप्त किया जा सकता है।

8.11 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए नियमित रूप से भारतीय तटरक्षक की वेबसाइट **www.indiancoastguard.gov.in** देखते रहें।

(रमण कुमार)
समादेशक
भर्ती निदेशालय
भारतीय तटरक्षक

अनुलग्नक-I

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएँ

भारतीय तटरक्षक

भर्ती निदेशालय
सी-1, फेज-2, औद्योगिक क्षेत्र
सैक्टर-62, नोएडा, उ. प्र. – 201309

रिक्ति वर्ष 2025 के लिए असैन्य कार्मिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन

आवेदन किए गए पद का नाम ______________________________

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. जन्मतिथि (क्रिश्चियन एरा में) तथा आयु :
3. पिता का नाम :
4. स्थायी पता :
5. पत्राचार का पता (पिनकोड के साथ) :
6. आधार नं. :
7. 7.1 शैक्षणिक योग्यता :

उत्तीर्ण परीक्षा क.	**उत्तीर्ण करने का वर्ष** ख.	**श्रेणी/अंकों का प्रतिशत** ग.	**विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम** घ.

7.2 अनुभव वर्ष (संबंधित क्षेत्र में) :

8. लिंग (पुरूष/स्त्री) :

9. आवेदित श्रेणी:-

अना. ☐ अजा. ☐ अजजा. ☐ अपिव. ☐ ईडब्ल्यूएस. ☐

10. पहचान चिह्न:-

10.1 ---

10.2 ---

11. क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ/नहीं ----

यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित विवरण दीजिए:-

संगठन का नाम एवं पता क.	**केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम** ख.	**धारित पद का नाम एवं वेतनमान** ग.	**सेवा ग्रहण करने की तिथि** घ.	**सेवा छोड़ने की तिथि** ङ.

12. आवेदन पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेजों की सूची (लागू होने के अनुसार):

क्र.	**दस्तावेज का शीर्षक** क.	**प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक** ख.
12.1	मैट्रिक (दसवीं) की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र	
12.2	इंटरमीडिएट (बारहवीं) की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र	
12.3	औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र	
12.4	डिप्लोमा अंकतालिका (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर) एवं प्रमाण पत्र	
12.5	अनुभव प्रमाण पत्र	
12.6	श्रेणी प्रमाण पत्र { ई डब्ल्यू एस/अपिव(नॉन क्रीमी लेयर)/ अजा/अजजा}	
12.7	नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र	
12.8	आधार कार्ड	
12.9	दो पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटोग्राफ	------------------
12.10	50 रुपए के पोस्टल स्टैंप चिपकाया हुआ रिक्त लिफाफा	

13. ई-मेल आईडी :

14. मोबाइल न. :

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। किसी भी समय किसी भी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्द की जा सकती है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं जन्म से/अधिवास (मूल निवास) से भारत का/की नागरिक हूँ।

2. मैंने अपने प्रधान कार्यालय/विभाग को लिखित में सूचित कर दिया है कि मैं पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ/रही हूँ । अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है (जहाँ कहीं लागू हो)।

बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान

स्थान:

दिनाँक: आवेदक के हस्ताक्षर

निर्धारित प्रारूप

प्रारूप-I

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* --

पुत्र/पुत्री -- निवासी ग्राम/कस्बा* -- जिला/संभाग*-- --------राज्य/संघ क्षेत्र*---------------------------के ----------------------------जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम ,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन),1976, मिजोरम राज्य अधिनियम ,1986, अरुणांचल राज्य अधिनियम ,1986, एवं गोवा, दमन एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम ,1987|]

@ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश,1956

@ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976*द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

@ संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

@ संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962

@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचितजनजाति आदेश,1967

@ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968

@ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968

@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978

@ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम ,1990

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश ,1991

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम ,1991

@ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिआदेश (संशोधन) अधिनियम ,2002

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम ,2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम ,2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम ,2002

%2यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं|

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*--के माता/पिता श्री/श्रीमती -- निवासी

ग्राम/कस्बा*--- जिला/संभाग*--राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*-- को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो---जाति/जनजाति से संबंधित है जो -- दिनांक --- द्वारा जारी --- राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है|

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी*--- और/या* उनका परिवार सामान्यत: ग्राम/कस्बा*-- जिला/संभाग*---राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र -- में रहता है|

हस्ताक्षर-----------------------

**पदनाम---------------------

स्थान-----------------

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक ----------

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश*

*कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें|
@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें|
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें|

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यत: रहते है" का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है|

**जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट /कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त /डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त|

*(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे के नहीं)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो|

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल ऑफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है |

(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव /विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)|

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति

प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या------------------- दिनांक --------------------------

वित्तीय वर्ष -------------------- के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी --------------------------- पुत्र/पत्नी/पुत्री/----------------------------- ग्राम/कस्बा ---------------------------------पोस्ट ऑफिस ----------------------- थाना ------------------------ तहसील-------------------जिला ------------- राज्य ---------------पिन कोड -------------------- के स्थायी निवासी हैं , जिनकी फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ----------------- में इनके परिवार ** की कुल वार्षिक आय * रु. 08.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है| इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति *** नहीं है:-

I. 05 एकड़ या इससे अधिक की कृषिभूमि |

II. 1000 वर्गफुट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट |

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड|

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड|

2. श्री/श्रीमती/कुमारी--------------------------------- जाति ---------------- के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं (केन्द्रीय सूची)|

पासपोर्ट आकार का सत्यापित नवीनतम फोटोग्राफ

हस्ताक्षर------------------ (कार्यालय के मुहर सहित)

नाम -------------------------------------

पदनाम---

*नोट 1: सभी स्त्रोतों से अर्जित आय जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि|

** नोट2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द का अर्थ वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और भाई-बहन (18 साल से कम उम्र के) के साथ -साथ उसके पति अथवा पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र पुत्र/पुत्री|

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्तर निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में "परिवार" द्वारा अर्जित संपत्ति को संयोजित किया गया है|

ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी

1. सक्षम प्राधिकारी दवारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है| केवल नीचे दिए गए निर्धारित प्रारुप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा :-

(क) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त /अतिरिक्त उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट//तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त |

(ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट |

(ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो|

(घ) क्षेत्र का सब डिविजनल ऑफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है |

2. प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (केंद्र शासित प्रदेश) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी संबंधित दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी करेगा|

3. अभ्यर्थी द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण तिथि भारतीय तटरक्षक द्वारा विज्ञापित पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी|

4. निर्धारित प्रारुप के अलावा कोई भी प्रमाण पत्र एवं उपर्युक्त पैरा-01 में उल्लिखित प्राधिकारियों के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के कारण भारतीय तटरक्षक में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा|